झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

संख्या-7/जा0नि0(पि0व0)-03/2001.....6196..दिनांक-12/11/2002 ई0 ।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के भाग 10 (विधिक एवं विविध उपबंधो) की धारा-85 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य में दिनांक 15.11.2000 के ठीक पहले तक लागू पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग अधिनियम 1993 (बिहार अधिनियम-12 सन-1993) को झारखण्ड राज्य में इसके निहितार्थो के लिए निम्नलिखित संशोधनों के साथ दिनांक 15.11.2000 के प्रभाव से अंगीकृत करती है ।

(i) उक्त उल्लिखित अधिनियम में जहॉ-जहॉ "बिहार", "बिहार राज्य" या पटना शब्दों का उल्लेख है वहॉ-वहॉ क्रमशः "झारखण्ड", "झारखण्ड राज्य" या रॉची शब्दों को प्रतिस्थापित समझा जाय ।

(ii) यह अधिनियम पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग अधिनियम 2002, कहा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
12-11-2002
(सुशील कुमार चौधरी),
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/जा0नि0(पी0व0)-03/2001 का0 6196 /रॉची, दिनांक-12 नवम्बर,2002 ई0 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरंडा, रॉची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियॉ कार्मिक, प्र0सु0 एवं राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायी जायें ।

12-11-2002
सरकार के सचिव ।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1915 (श०)

(सं० पटना 530) पटना शनिवार, 21 अगस्त 1993

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अगस्त 1993

संख्या एल०जी०-1-03/93 लेज—376—बिहार विधान मंडल द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 19 अगस्त 1993 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

(बिहार अधिनियम, 12, 1993)

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग गठित करने और उनसे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम पिछड़े वर्गों के लिए राज्य-आयोग अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं।—इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) "पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है। बिहार अधिनियम 3, 1992 से रूपान्तरित अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट की जाने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न पिछड़े वर्ग।

(ख) [illegible] से अभिप्रेत है, धारा [illegible] पिछड़े वर्गों के लिए [illegible]

(ग) "सूची" से अभिप्रेत है, नागरिकों के पिछड़े वर्गों, जो राज्य सरकार की राय में राज्य सरकार और राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, के लिए नियुक्तियों एवं पदों पर आरक्षण का उपबंध करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी सूची ।

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य ।

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित ।

अध्याय II

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य-आयोग ।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन:—(1) राज्य सरकार एक निकाय, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु, गठित करेगी जो पिछड़े वर्गों के लिए राज्य-आयोग के रूप में जाना जायेगा ।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे :—

(क) अध्यक्ष,

(ख) एक समाज विज्ञानी,

(ग) दो व्यक्ति जो पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विषयों में विशेष ज्ञान रखते हों, और

(घ) सदस्य-सचिव, जो बिहार सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं ।

4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्यालय अवधि एवं सेवा शर्तें ।—(1) प्रत्येक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा ।

(2) कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अध्यक्ष या सदस्य , यथास्थिति, के कार्यभार से किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के कार्यभार से हटा सकता है यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से सम्बद्ध है, के कारण दोषसिद्ध हुआ है तथा कारावास की सजा भुगत रहा है;

(ग) जो दिवालिया हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका है;

(घ) जो कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है; या

(च) जिसने राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा को वैसा कलंकित किया हो, जिसके कार्यालय में बने रहने से पिछड़े वर्गों या जनहित की क्षति होती हो:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खंड के अधीन तबतक अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जबतक इस संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) उप-धारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये नामांकन से भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा अन्य संबंधित शर्तें वे ही होंगी जो विहित की जाय।

5. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।—(1) राज्य-सरकार आयोग के कार्य-कलापों के प्रभावकारी निष्पादन के लिए वैसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों, जो आवश्यक हों, की सेवाएं आयोग को उपलब्ध करायेगी।

(2) आयोग के लिए नियुक्त पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें वे ही होंगी जो विहित की जाये।

6. अनुदान से भुगतान किये जाने वाले वेतन तथा भत्ते।—अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिनमें पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन जो धारा 5 में निर्दिष्ट है, का भुगतान धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।

7. रिक्तियां आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना:—आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि रहने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

8. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया।—(1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय तथा स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य-सचिव या सदस्य-सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किए जायेंगे।

अध्याय III

आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

9. आयोग के कृत्य।—(1) आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिये किए गए अनुरोध की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे।

(2) आयोग की राय मानने के लिये सामान्यतः राज्य-सरकार बाध्य होगी।

10. आयोग की शक्तियां।—धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, आयोग को वाद का विचारण करनेवाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां, और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों के संबंध में, शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, और शपथ दिलाकर उसकी जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा उसके उपस्थापन की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना;

(ङ) गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का आवधिक पुनरीक्षण।—(1) राज्य सरकार, किसी भी समय इस अधिनियम के लागू किए जाने के दस वर्षों की समाप्ति होने पर और उसके बाद प्रत्येक अनुवर्ती दस वर्षों की अवधि पर ऐसी सूची से उन वर्गों को जो पिछड़े वर्ग के नहीं रह गये हों, हटाने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिये पुनरीक्षण कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग की राय लेगी।

अध्याय IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।—(1) राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऐसी रकम का भुगतान आयोग को करेगी, जैसा वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी राशि खर्च कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और ऐसी राशि को धारा 11 में निर्दिष्ट अनुदानों से भुगतेय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

13. लेखा तथा अंकेक्षण।—(1) आयोग समुचित लेखा तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा महालेखाकार, बिहार से विचार-विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा वैसे प्रपत्र जो विहित किये जायें, में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार द्वारा ऐसे अन्तराल, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, पर तथा ऐसे अंकेक्षण में हुए कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार, बिहार को भुगतेय होगा।

(3) आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संदर्भ में महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वे हैं अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार रहेंगे जो महालेखाकार, बिहार को सामान्यतया सरकारी लेखा के अंकेक्षण क्रम में प्राप्त हैं और विशेषकर बहियों का लेखा, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागजात के उपस्थापन की मांग करने तथा आयोग के कार्यालयों में से किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त रहेंगे।

14. वार्षिक प्रतिवेदन।—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर जो विहित किया जाय, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें विगत वित्तीय वर्ष के दौरान में उसके कार्यकलापों की पूर्ण विवरणी रहेगी तथा इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

15. राज्य विधान-मण्डल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन का उपस्थापन।—राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई से संबद्ध ज्ञापन तथा प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उपस्थापित किये जानेवाले संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अध्याय V

प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी का लोक-सेवक होना।—भारतीय-दण्ड-संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी लोक-सेवक समझे जायेंगे।

17. नियमावली बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथा—

(क) धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन अध्यक्ष तथा सदस्यों और धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें तथा निबंधन;

(ख) प्ररूप जिसमें धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण;

(ग) प्ररूप जिसमें तथा वह समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके होने की अपेक्षा हो, या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरत बाद राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह कुल चौदह दिनों के लिये सत्र में हो, रखा जायेगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके तुरत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बातिल होने से उस नियम के

अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19. निरसन और व्यावृत्ति।—(1) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वितीय अध्यादेश, 1993 (बिहार अध्यादेश सं० 17, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

---

21 अगस्त 1993

सं० लेज 377—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा 19 अगस्त 1993 को अनुमति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा:—